

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 9

सोमवार, 12 मार्च, 2018/21 फाल्गुन, 1939(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय: 2.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ० राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 2.00 बजे (अपराह्न) आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर:

(I) तारांकित प्रश्न:

सदस्य की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या: 42 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 43 से 47 तक व तारांकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 50 से 62 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गये।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने सोमवार, 12 मार्च, 2018 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन :

- (1) श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:-

"That in pursuance of the provision contained under Section 16 (1) (j) of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No. 2 of 2015), the Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the Member of the Board of Governors of Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur for a period of three years from the date of nomination."

प्रस्ताव स्वीकार।

- (2) डॉ० राजीव सैजल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:-

"हिमाचल प्रदेश सहकारी सभायें अधिनियम, 1968 (वर्ष 1969 का अधिनियम संख्या-3) की धारा 98(1)(4) के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य, स्वयं अपने में से, जिस प्रकार वह चाहें या जिस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें, तीन सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यवाही करें, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता परिषद् में, अधिसूचना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उपरोक्त अधिनियम व उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, बतौर सदस्य, सेवा कर सकें, के मनोनयन हेतु यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

प्रस्ताव स्वीकार।

3.10 PM

4. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान-सामान्य चर्चा:

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस विधायक दल के नेता

श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मंत्री द्वारा हस्तक्षेप

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मंत्री द्वारा हस्तक्षेप

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री द्वारा हस्तक्षेप

2. श्री राकेश पठानिया
3. डॉ(कर्नल) धनी राम शांडिल
4. श्री रमेश चंद ध्वाला
5. श्री सतपाल सिंह रायजादा
6. श्री इन्द्र सिंह

सदन की बैठक सायं 5.37 बजे मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई।